Government of Haryana

विषय: हरियाणा राज्य अभिलेखागार एवं क्षेत्रीय अभिलेखागारों की स्थापना तथा विकास हेतु बजट वर्ष 2021-22.

....

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में ध्यान में लाया जाता है कि वित्त विभाग द्वारा विषयाधीन योजनेत्तर स्कीम को वर्ष 2020-21 (Reccurring) में ज़ारी रखने की स्वीकृति प्रदान की थी तथा वेतन भत्तों व कार्यालय के अन्य खर्चों के लिए 2,34,00000/- रु0 की राशि स्वीकृत की थी 1

विषयाधीन स्कीम को वर्ष 2021-22 में जारी रखना आवश्यक है 1 अत: विषयाधीन योजनेत्तर स्कीम में स्वीकृत 42 पदों को जारी रखने व उनके वेतन भत्तों तथा कार्यालय के अन्य खर्चों के लिए निम्न विवरण अनुसार रु0 3,78,30000/- की राशि की स्वीकृत जारी करने हेतू प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जाना है 1 जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

आइटम कोड	मद	राशि	
1	Salary	24000000	
2	Wages	600000	
3	Dearness Allowance	6000000	
4	Travel Expenses	300000	
5	Office Expenses	600000	
6	Rent, Rates and Taxes	200000	
12	Scholarsip and Stipend	200000	
21	Motor Vehicle	200000	
24	Materials & Supplies	500000	
34	Others Charges	500000	
45	P.O.L.	300000	
67	Medical Reimbursement	800000	
69	Contractual Service	2000000	
70	L.T.C.	1000000	
79	Ex-Gratia	600000	
92	Energy Charges	30000	
	Grand Total	37830000	

01-Salary & 03 Dearness Allowance:- Demand No. 12 के उपशीर्ष 99-निर्देशन प्रशासन (P-01-12-2205-51-102-99-51) के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में स्वीकृत 42 पदों के विरुद्व 24 कर्मचारियों/अधिकारीयों का वेतन ड्रा किया जा रहा है 1 रिक्त पदों के बारे में मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व लोक सेवा आयोग को भेजे हुए है 1 जिनके लिए कर्मचारियों/अधिकारीयों के वेतन के लिए सैलरी व डी.ए. की राशि को 2021-22 की बढौतरी को मद्देनजर रखते हुए 300.00/- लाख रु0 का प्रावधान होना आवश्यक है 1

02-Wages:- विभाग में उक्त स्कीम के अंतर्गत पार्ट टाइम कर्मचारियों व तत्कालिक कार्यों के लिए लगाए जाने वाले मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी के रूप में 6.00 लाख रु0 की राशि का प्रावधान किया जाना है 1

Government of Haryana

04 Travelling Allowances:- विभाग में अभिलेखागारों की स्थापना तथा विकास हेतु, राज्य स्तरीय प्रदर्शनी/सेमिनार आदि में भाग लेने के लिए विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता के रूप में 3.00 लाख रु0 की राशि का प्रावधान किया जाना है 1

05 Office Expenses:- विभाग की उक्त स्कीम से मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों के टेलीफोन बिलों व छुट-पुट खर्चे हेतु वर्ष 2021-22 में 6.00 लाख की राशि का प्रावधान होना आवश्यक है 1

06 RRT:- क्षेत्रीय अभिलेखागार अम्बाला का कार्यालय भवन किराये पर होने के कारण उक्त मद में 2.00 लाख रु0 की राशि का प्रावधान किया जाना है 1

12 Scholarship and Stipend:- कौशल विकास एवं औधोगिक प्रशिक्षण विभाग की गाइडलाइन के अनुसार विभाग में चार प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के लिए मिसल प्रक्रियाधीन है 1 उक्त प्रशिक्षुओं को वजीफा एवं छात्रवृति देने हेतु 2.00 लाख रु0 की राशि का प्रावधान किया गया है 1

21 Motor Vehicle:- विभाग में इस समय एक जीप है जो कि राज्य स्तरीय प्रदर्शनी/सेमिनार आदि में भाग लेने के लिए विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के प्रयोग हेतु लाई जाती है 1 जिसके रख-रखाव के लिए 2.00 लाख रु0 की राशि का प्रावधान किया जाना है 1

24 Material and Supply:- विभाग में छुट-पुट सामान की खरीद आवश्यक है गतिविधियों सुचारू रूप से चलती रहे इसलिए उक्त मद में वर्ष 2021-22 के लिए 5.00 लाख रु0 की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है 1

34 Other Charges:- विभाग की गतिविधियाँ सुचारू रूप से चलती रहे इसलिए उक्त मद में वर्ष 2021-22 के लिए 5.00 लाख रु0 की राशि का प्रावधान किया जाना है 1

45 POL:- विभाग में इस समय एक जीप है 1 विभाग में अभिलेखागारों की स्थापना तथा विकास हेतु, राज्य स्तरीय प्रदर्शनी/सेमिनार आदि में भाग लेने के लिए गाड़ी में POL के लिए 3.00 लाख रु0 की राशि का प्रावधान किया जाना है 1

67 Medical Reimbursement :- विभाग में कई सेवानिवृत तथा कार्यरत अधिकारीयों/कर्मचारियों की बिमारियों से सम्बन्धित चिकित्सा बिल प्राप्त होते रहते है । जिनकी अदायगी निरन्तर रूप से की जाती है 1 जिसके लिए 8.00 लाख रु0 की राशि का प्रावधान किया जाना है 1

69 Contractual Service:- विभाग में इस समय Outsourcing Policy I तथा II के तहत 2 कर्मचारी कार्यरत है 1 सरकार द्वारा अपनी सामान काम सामान वेतन की अधिसूचना Outsourcing Policy II पर लागु कर दी गई है जिसके लिए वेतन के रूप में 20 लाख रु0 की राशि दिए जाने का प्रावधान किया जाना है 1

70 LTC:- कर्मचारियों को नये ब्लाक ईयर 2020-23 में LTC के रूप में 10.00 लाख रु0 की राशि का प्रावधान किया जाना है 1

79 Ex-Gratia:-उक्त मद में एक कर्मचारी के परिवार को अदायगी हेतु 6.00 लाख रु0 की राशि का प्रावधान किया जाना है 1

92 Energy Charges:- विभागीय बिजली के बिलों की अदायगी हेतु उक्त मद में 30 हजार रु0 की राशि का प्रावधान किया जाना है 1

Government of Haryana

इस सम्बन्ध में होने वाला खर्च मुख्य शीर्ष 2205-कला एवं संस्कृति-102-अभिलेखागार-कला एवं संस्कृति की उन्नति (99)- हरियाण में राज्य अभिलेखागार एवं क्षेत्रीय अभिलेखागारों की स्थापना तथा विकास Revenue-Recurring-2021-22 से वहन होगा ।

'A' अत: अनुमोदन हो तो वर्ष 2021-22 के अंतर्गत 3,78,30000/- रु0 की राशि स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव online व हार्ड कॉपी वित्त विभाग को भेज दिया जाये ।

कृपया प्रधान सचिव अभिलेख महोदय के अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

[signature] Kumar (Asstt)
12/11/2020

SA (OL)

AO 'A' is submitted for approval as explained at page 1 & 2 for Budget provision 2021-22 so that the same maybe sent to F.D by 20-11-2020

[signature]
17/11/2020

W/Director

[signature]
17/11

W/PS/A

As amended. Do you require budget for new motor vehicle, when existing vehicle is lying unused?

[signature]
18/11/2020

Principal Secretary to Govt. of Haryana,
Archives Department.

DD(A)

CFMS No:-1502
dated 13-11-2020

Level
W/P.SA

O/o PS Archives
File No 1502
Date 18-11-2020

Recd
[signature]
19/11/20
Asstt 2

Government of Haryana

कृपया नोटिंग पृष्ठ 3 पर प्रधान सचिव अभिलेख महोदय के प्रश्न के सम्बन्ध में ध्यान में लाया जाता है कि Motor Vehicle (21) Sub-Head से व्हीकल की सर्विस, issurance व रिपेयर से सम्बन्धित बिलों की अदायगी की जाती है । इस समय गाड़ी की रिपेयर से सम्बन्धित 38628/- रु0 के राशि के बिल लम्बित है । जिनकी अदायगी logbook की एंट्री authenticated होने उपरांत की जानी है ।

अत: अनुमोदन हो तो Motor Vehicle (21) Sub-Head में 0 के स्थान पर 50,000/- रु0 की राशि का प्रावधान करवा लिए जाए ताकि Motor Vehicle (21) Sub-Head को समाप्त होने से बचाया जा सकें ।

कृपया अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

Kumar (Asstt)
23/11/2020

SAO
In view of the position explained above, submitted for further orders PS.

23/11/2020
(A.K. DHINGRA)
SAO

Level
W/P.S.(A)

W/ Vinein

W/PS(A)

23/11

23/11/2020.
Principal Secretary to Govt. of Haryana,
Archives Department.

CFMS NO:- 1502
dated-23-11-2020

O/o PS
File No 1502
Date 24-11-2020

Dir(A)

कृपया प्रधान सचिव महोदय के अनुमोदन उपरान्त उपरोक्त अनुसार Revenue Recurring (Non Plan) R.E. 2020-21 व BE 2021-22 वित्त विभाग को online भेज दिया गया है। हार्डकॉपी भेजने हेतु स्वच्छ प्रारूप हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

25/11/20
SAO

25/11/20

Received back
Highlights/Dir

Supdt
Asstt 2

Supdt Sweeti Luthra
25/11/2020
Asst 2

जारी क्रमांक 932
दिनांक 27.11.2020